सर्वे आयुक्त वक़्फ़ संगठन की स्थापना

इस विभाग का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त अवकाफ की सुरक्षा, अनुरक्षा एवं विकास कार्यो में उ0प्र0 सुन्नी/ शिया सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड, लखनऊ एवं उ0प्र0 वक़्फ़ विकास निगम को सहयोग भी प्रदान किया जाता है। उ0प्र0वक़्फ़ अधिनियम–1960 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश सं0–111/ एम0डबलू–22(1)/76 दिनांक 01.11.1976 द्वारा वक़्फ़ सर्वे संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का प्रमुख कार्य ऐसी वक़्फ़ सम्पत्तियों का पता लगाकर उन्हें पंजीकृत कराना था, जो उस समय तक सुन्नी/ शिया वक़्फ़ बोर्डों में पंजीकृत नहीं थीं। वर्ष–1977 से 1988 तक वक़्फ़ सम्पत्तियो का सर्वेक्षण किया गया, सर्वे के दौरान 1,07,969 सुन्नी तथा 3,449 शिया कुल 1,11,418 अवकाफ प्रकाश में आयें, जो सुन्नी/ शिया वक़्फ़ बोर्ड में पंजीकृत नहीं थे। इन समस्त अवकाफ को पंजीकृत करवाया गया। वक़्फ़ बोर्ड में पूर्व में पंजीकृत एवं सर्वे किये गये उक्त अवकाफ को मिलाकर प्रदेश में 1,22,984 सुन्नी एवं 7,368 शिया कुल 1,30,352 अवकाफ स्थित हैं।

सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने के उपरान्त वक़्फ़ सम्पत्तियों के बेहतर प्रबन्धन, प्रशासन, सुरक्षा एवं विकास के उद्देश्य से शासनादेश सं0–1723/बावन–380/86, दिनांक 18.07.1986 द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों में ज़िला वक़्फ़ कार्यालय की स्थाई रूप से स्थापना की गई, जिनसे 57 जनपद आच्छादित थे। इस समय प्रदेश के समस्त जनपदों/ तहसीलों में अपर /सहायक सर्वे आयुक्त वक़्फ़ नामित हैं, जो वक़्फ़ सम्पत्तियों से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करते हैं।

वर्तमान समय में प्रदेश में केन्द्रीय वक़्फ़ अधिनियम–1995 दिनांक 01–01–1996 से प्रभावी है, इससे पूर्व प्रदेश में उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम 1960 लागू था।